राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

मामला क्रमांक

(1)	(2)
11/04/2025	प्रकरण पेश। प्रकरण का अवलोकन किया।

आवेदिका श्रीमती सुनीता पति सुभेन्दु का आवेदन दिनांक 11/03/2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। उक्त आवेदन के संदर्भ में कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल नानगुर, तहसील नानगुर, जिला बस्तर का प्रतिवेदन दिनांक 09.04.2025 को प्राप्त हुआ। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्ष की स्थिति निम्नानुसार है:-

काटे जाने वाले वृक्षों की सूची:-

क्रमांक	वृक्ष क्रमांक	वृक्ष की प्रजाति	छाता गोलाई (मीटर में)
1.	1	साल	3.54
2.	2	साल	3.10
3.	3	साल	2.76
4.	4	साल	3.50
5.	5	साल	2.80
6.	6	साल	2.30
7.	7	साल	2.62
8.	8	साल	2.22
9.	9	साल	2.20
10.	10	साल	1.74

अभिलेख के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि ग्राम पराली प.ह.नं. 00021 रा.नि.मं. नानगुर, तहसील नानगुर, जिला बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 94/2 रकबा 3.0300 हे. भूमि आवेदिका सुनीता पति सुभेन्दु वर्ग अनुसूचित जनजाति जाति गोंड़ पता सा. जगदलपुर के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि पर स्थित 10 नग साल वृक्ष को काटे जाने पर संहिता के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः उपरोक्त वृक्ष-कटाई के आवेदन पर अनुमति दी जाती है।

छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी, एवं यह आदेश केवल एक कैलेण्डर वर्ष के लिए ही मान्य रहेगी।

आदेशानुसार आवेदक को टीप करावें तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध होकर दाखिल दफतर हो। आज दिनांक 11/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित आदेश पारित एवं उद्घोषित।

अनुविभागीय अधिकारी (रा)

जगदलपुर